कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक /स्था. /राज/19/ 9747 जबलपुर, दिनांक 7/12/2019

//संशोधित विज्ञप्ति सूचना//

कार्यालयीन विज्ञप्ति कमांक स्था/राज/19/8984 जबलपुर दिनांक 18/11/2019 के द्वारा, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के अधीन रिक्त पदों को सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये अधीक्षक, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु कमांक 4 एवं 5 मे संशोधन
   क. 4. अधीक्षक – 15600–39100+5400 ग्रेड पे
   क. 5. सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी – 15600–39100+5400 ग्रेड पे

टीपः– उपरोक्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. 8. सेवाशर्ते

8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एंव दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।

8.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायूयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जायेगा।

8.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी । निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी की भांति ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (Offer) की जाने की तिथि से स्वयंमेव बंद हो जायेगा ।

टीपः– उपरोक्त सेवा शर्ते कमांक 8 के 8.3, 8.4 एवं 8.5 के अंतर्गत अधीक्षक एवं सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदो के लिये मान्य नहीं होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

पृ.क्रमांक /स्था. /राज/19/ जबलपुर, दिनांक /12/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर ।
2. कार्यालय स्टेनो की ओर ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

Scanned by CamScanner